सं. ई.11016/01/2017-हिन्दी /2042

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक: 02 जनवरी, 2019

विषय:- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.12.2018 को हुई 75वीं बैठक का कार्यवृत्त।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.12.2018 को हुई 75वीं बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है।

जल संसाधन नदी, विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संबंधित अधिकारियों/अनुभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ संगठनों से अनुरोध है कि उपर्युक्त बैठक में लिए गए निर्णयों/दिए गए सुझावों के संबंध में कृपया आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई से पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

(एम.सी. भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23719033

संलग्नक:- यथोपरि

सेवा में-

1. समिति के सभी सदस्य।
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संगठन।
4. उप सचिव (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001.

प्रति सूचनार्थ:

1. सचिव, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव (प्रशा.)/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के निजी सचिव।

सं. ई.11016/01/2017-हिन्दी

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.12.2018 को हुई 75वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 75वीं बैठक श्री बी.बी. शर्मा, आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2018 को 03.00 बजे (अपराह्न) मंत्रालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/संगठनों/अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

2. बैठक के प्रारंभ में, श्री एम.सी. भारद्वाज, संयुक्त निदेशक (रा.भा.) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची की मदों के अनुसार बैठक की कार्यवाही शुरू की।

कार्यसूची की मद संख्या-1 के तहत दिनांक 26.09.2018 को संपन्न समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों तथा पिछली तिमाही के दौरान की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई। वर्तमान में मंत्रालय के सभी अनुभागों एवं संबंधित संगठनों द्वारा धारा 3(3) और नियम 5 का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने भविष्य में भी इसका शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि डायरी/डिस्पेच करते समय रजिस्टरों में "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों का उल्लेख किया जाए और तिमाही प्रगति रिपोर्ट में ई-मेल से भेजे गए पत्राचार के आंकड़ें भी शामिल किए जाएं। ई-मेल से पत्र भेजते समय भी यथासंभव हिन्दी में पत्राचार किया जाए। यह भी निदेश दिया कि कार्यवृत्त प्राप्त होने पर उसकी अनुपालना रिपोर्ट तथा तिमाही रिपोर्ट समय पर मंत्रालय/हिन्दी अनुभाग को अवश्य भेजना सुनिश्चित करें ।

(कार्रवाई - मंत्रालय के सभी अनुभाग और सभी अधीनस्थ कार्यालय)

(क) मूल पत्राचार - मद संख्या 3 के तहत मूल पत्राचार के विषय में चर्चा के दौरान समिति ने आँकड़ों की समीक्षा की और पाया कि मंत्रालय के कई अनुभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मूल पत्राचार का

प्रतिशत प्रगतिशील रहा है। कई अनुभागों ने पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही में हिंदी के कार्य के प्रति काफी गंभीरता दिखाई है, यह सराहनीय प्रयास है। लेकिन सतर्कता, स्थापना-II, सामान्य प्रशासन, एसपीआर, पेन रिवर, कमान क्षेत्र विकास आदि अनुभागों में मूल पत्राचार का प्रतिशत काफी कम है, जिससे समग्र रुप में मंत्रालय के प्रतिशत पर प्रभाव पड़ता है। कुछ अनुभागों जैसे बजट, ई-गवर्नंस, आईईसी आदि अनुभागों से रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई है। इन दोनों मदों को गंभीरता से लेते हुए अध्यक्ष महोदय ने संबंधित अनुभागों को पत्र लिखने का निर्देश दिया।

(कार्रवाई -हिन्दी अनुभाग)

इसके पश्चात, मद संख्या 4 के तहत अधीनस्थ कार्यालय-वार हिन्दी के प्रयोग की तुलनात्मक स्थिति पर चर्चा की गई। अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के पत्राचार की स्थिति पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अधिकतर कार्यालयों द्वारा हिन्दी के कार्य के प्रति गंभीरता प्रशंसनीय है, लेकिन अभी भी कुछ कार्यालयों जैसे एनएमसीजी, नेरीवलम, फरक्का बैराज परियोजना, ब्रह्मपुत्र बोर्ड आदि में सुधार की बड़ी आवश्यकता है। इन्हें तत्काल प्रभाव से अपने कार्यालय में हिन्दी पत्राचार प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, नई दिल्ली से तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर निराशा व्यक्त की और आदेश दिया कि सभी कार्यालय निर्धारित अवधि के भीतर तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग को भेजना सुनिश्चित करें। समिति ने सभी कार्यालयों से भविष्य में हिंदी के प्रति गंभीरता को बरकरार रखने और ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में करने पर जोर दिया।

(कार्रवाई - मंत्रालय के सभी संबंधित अनुभाग/अधीनस्थ कार्यालय)

(ख) बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिन कार्यालयों/अनुभागों में हिन्दी की स्थिति लक्ष्यों के अनुरुप नहीं है और जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है, उनके शाखा प्रमुख को अलग-अलग अ. शा. पत्र भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस पत्र में संबंधित अनुभाग के हिन्दी पत्राचार के प्रतिशत का उल्लेख करते हुए इसे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई बताने का उल्लेख किया जाए।

(कार्रवाई -हिन्दी अनुभाग)

(ग) मद संख्या 7 के तहत चर्चा के दौरान स्थापना-।।। के अनुभाग अधिकारी ने ई-ऑफिस में हिन्दी में काम करते समय फॉरमेटिंग की समस्या का उल्लेख किया। इस समस्या के समाधान के लिए अध्यक्ष महोदय ने ई-ऑफिस के निदेशक के साथ इस संबंध में बैठक करने का आदेश दिया। समिति ने मंत्रालय तथा सभी अधीनस्थ कार्यालयों/ संगठनों को अपनी-अपनी वेबसाइट हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अद्यतन बनाने का निर्देश दिया और कहा कि यह जनता के साथ सीधे संपर्क का माध्यम है, अतः इसे अवश्य ही दोनों भाषाओं में होना चाहिए। इसी प्रसंग में अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी अनुभाग से एनआईसी के निदेशक एवं वेबसाइट अद्यतन करने से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियो के साथ भी बैठक करने का निर्देश दिया ।

(कार्रवाई -हिन्दी अनुभाग)

(घ) राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी की संगोष्ठियों के आयोजन के संबध में चर्चा के दौरान एनडब्ल्यूडीए के राजभाषा अधिकारी ने कहा कि उनका कार्यालय 14 जून को संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। केन्द्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि ने भी बताया कि उनके कार्यालय द्वारा भी हैदराबाद में एक तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रसंग में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि इन संगोष्ठियों में मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों से भी हिन्दी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना चाहिए, जिससे सभी कार्यालयों को समान रुप से अनुभव एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त होने के साथ साथ वे कार्यशैली से भी परिचित हो सकें। समिति ने इस पर सहमति जताते हुए सुझाव दिया कि सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय समय समय पर संगोष्ठियों का आयोजन करें और इनमें मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों से भी हिन्दी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।

(कार्रवाई -हिन्दी अनुभाग एवं मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय)

(ङ) हिन्दी के खाली पदों को भरना/सृजन- सीएसएमआरएस, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, नेरीवलम सहित मंत्रालय के कई कार्यालयों में हिन्दी के पद रिक्त हैं, अथवा सृजित किए जाने है। कुछ पद केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के होने के कारण राजभाषा विभाग द्वारा भरे जाते है और कुछ पदों को मंत्रालय से सहमति के पश्चात् कार्यालय द्वारा स्वयं भरा जाता है। इस संबंध में समिति ने मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग को आदेश दिया कि संबंधित विभाग को अ. शा. पत्र लिखा जाए और अधीनस्थ कार्यालयों में केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी के पदों के सृजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखने का भी आदेश दिया।

(कार्रवाई -हिन्दी अनुभाग एवं मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय)

3. अंत में अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

*****